रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2014/श्रावण 30, 1936
No. 437] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2014/SHRAVANA 30, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 602(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 54) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार प्रारूप नियम अर्थात् केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 को, संख्यांक सा.का.नि. 279(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और, अधिसूचना की प्रतियां जनता को 24 अप्रैल, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (15वां संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 96ग, में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि 1 सितम्बर, 2014 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक कृषि कार्य ट्रैक्टर, कृषि कार्य ट्रेलरों द्वारा नियम 97 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट मानक का अनुपालन की प्रसुविधा देने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, अर्थात्:

(क) एक हाइड्रोलिक पम्प और हाइड्रोलिक वाल्व जो ट्रेक्टर पर समुचित पाइप से जुड़े हों ;

(ख) ट्रेक्टर पर एक हाइड्रोलिक पाइप और दाब लाइन, जो ट्रैक्टर और ट्रेलर के बीच एक ही समय पर ब्रेक लगने की क्रिया को सुकर बनाने के लिए ट्रेक्टर के पिछले भाग पर समाप्त होती है ;

(ग) प्रत्येक किस्म और माडल के ट्रेक्टर विनिर्माता द्वारा ट्रेक्टर के अंतिम भाग पर एक हाइड्रोलिक दाब लाइन का उपलब्ध रहने को मैनुअल में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ; और

(घ) ट्रेक्टर में ट्रेलर ब्रेक प्रेरण केबल या मानक फिटमेंट के समान संयोजन का न्यूनतम उपबंध होगा।"

[सं. आर टी-11036/31/2010-एमवीएल]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा अधिसूचित किये गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि 543(अ), तारीख, 30 जुलाई, 2014 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2014

G.S.R. 602(E).—Whereas, the draft rules namely, the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014, further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published *vide* number G.S.R. 279(E), dated the 11th April, 2014 in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, as required under sub-section (1) of Section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 24th April, 2014;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 110 of Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (15th Amendment) Rules, 2014.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 96C, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that every agricultural tractor manufactured on and after the 1st September, 2014, shall, for the purpose of facilitating the agricultural trailer to comply with Standard specified in sub-rule (3) of rule 97, meet with following requirements, namely:—

(a) a hydraulic pump and hydraulic valve with suitable pipe connections on the tractor;

(b) a hydraulic piping and pressure lines on the tractor, which shall be terminated at the rear end of the tractor, to facilitate synchronized braking action between the tractor and the trailer;

(c) the hydraulic line pressure available at the rear end of the tractor shall be specified by the manufacturer for each type and model of the tractor, in the owner's manual; and

(d) the tractor shall have the minimum provision for connecting the trailer brake actuation cable or linkage as standard fitment."

[No. RT-11036/31/2010-MVL]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were notified *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* number G.S.R. 543(E), dated the 30th July, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.